कार्यालय जिलाधिकारी चम्पावत ।

संख्या– 2174 / सात–प0भ0 विज्ञप्ति / 2015–16, दिनांक 09 अक्टूबर, 2015

सेवा में,

जिला सूचना अधिकारी,
चम्पावत ।

विषय– **पटवारी भर्ती 2015–16 की विज्ञप्ति संख्या– 01, दिनांक 8 अक्टूबर, 2015 की संशोधित विज्ञप्ति जारी करने के सम्बन्ध में ।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया इस कार्यालय द्वारा उत्तराखण्ड राजस्व उपनिरीक्षक(पटवारी) के जनपद चम्पावत में रिक्त 21 पदों पर चयन के सम्बन्ध में जारी विज्ञप्ति संख्या 01/प0–भ0(भूलेख)/चम्पावत/2015, दिनांक 08 अक्टूबर, 2015 में टंकण त्रुटि के कारण आई निम्नांकित अशुद्धियों को निम्नानुसार संशोधित करते हुए, संशोधित विज्ञप्ति जारी की जानी है –

बिन्दु संख्या	**अशुद्ध प्रविष्टि**	**प्रविष्टि जो शुद्ध कर प्रकाशित की जानी है**
1	अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो या	अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो
2	उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिये अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट, अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये 03 वर्ष की छूट तथा अन्य ऐसी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में जिन्हें सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाये, अधिकतम आयु में उतनी ही छूट होगी जैसी की विहित किया जाये ।	उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये 05 वर्ष की छूट तथा अन्य ऐसी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में जिन्हें सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाये, अधिकतम आयु में उतनी ही छूट होगी जैसी की विहित किया जाये ।
4	पंजीयन कार्ड की स्व प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक हो	पंजीयन कार्ड की सत्यापित छाया प्रति संलग्न करना आवश्यक है
9	यदि वह जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है	यदि वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है
आवेदन पत्र का कमांक 11	अन्य विवरण/अधिमानी अर्हता (यदि कोई हो तो सत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न करें)	अन्य विवरण/अधिमानी अर्हता (यदि कोई हो तो तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न करें)

यह भी अवगत कराना है कि दैनिक जागरण के समाचार पत्र के दिनांक 09.10.2015 को प्रकाशित संस्करण में जनपद चम्पावत की उपरोक्त विज्ञप्ति में जिलाधिकारी चम्पावत के स्थान पर जिलाधिकारी नैनीताल प्रकाशित किया गया है। जो कि भ्रामक स्थिति उत्पन्न करता है। उक्त त्रुटि को भी संशोधित करते हुए संशोधित विज्ञप्ति अमर उजाला एवं दैनिक जागरण समाचार पत्र के आगामी संस्करण में जनहित में प्रकाशित कराने का कष्ट करें ।

(दीपेन्द्र कुमार चौधरी)
जिलाधिकारी चम्पावत ।

प्रतिलिपि– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी चम्पावत ।

(दीपेन्द्र कुमार चौधरी)
जिलाधिकारी चम्पावत ।